महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :रू.वि. / कु.स.का. / 2021 / 1815 दिनांक : 20.05.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय : कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों / कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1109 / सत्तर–3–2021 / 2021 दिनांक 19 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में शिक्षकों / कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये हैं उक्त के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्रांक 1114 / सत्तर–3–2021 / 2021 दिनांक 20 मई 2021 में माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टॉफ को वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

उपरोक्त के क्रम में मा० कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में स्थित जिन सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, वह महाविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर तत्काल अपने महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक : यथोपरि

Pandey
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषितः–</u>

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मीडिया प्रभारी।
3. प्रभारी विश्वविद्यालय, वेबसाईट।
4. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 1114/सत्तर–3–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2–कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 20 मई, 2021

विषयः–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1109/सत्तर–3–2021 दिनांक 19 मई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टॉफ को वेतन का पूर्ण भुगतान नही किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश स्थित जिन निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या–1114 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2–कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।